एक सौ रुपये

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AR 948685

बजरंग एजूकेशनल ट्रस्ट का डीड

यह ट्रस्ट डीड श्री बिलोच कुमार पुत्र श्री पुरूषोत्तम सिंह निवासी- गाम व पोस्ट सेमरा तहसील एत्मादपुर जिला आगरा (जो कि इस ट्रस्ट के गठन कर्ता है) द्वारा आज दिनांक ----------2011 को तैयार करके प्रस्तुत की गयी है ।

इस ट्रस्ट के गठनकर्ता श्री बिलोच कुमार पुत्र श्री पुरूषोत्तम सिंह निवासी- गाम व पोस्ट सेमरा तहसील एत्मादपुर जिला आगरा द्वारा इस ट्रस्ट का निर्माण शैक्षिक व सामाजिक उत्थान एवं विकास के क्षेत्र में इस ट्रस्ट के माध्यम से सकारात्मक भूमिका का निर्वाहन किया जा सकें । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठनकर्ता द्वारा ट्रस्ट को परिसम्पत्ति के रूप में रूपया 10000/- (दस हजार) दान किया गया है।

ट्रस्ट के नियम व शर्ते

1. ट्रस्ट का नाम :- बजरंग एजूकेशनल ट्रस्ट,
2. ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय :- ग्राम व पोस्ट सेमरा तहसील एत्मादपुर जिला आगरा। होगा, परन्तु भविष्य में ट्रस्ट के ट्रस्टियों के बहुमत से कार्यालय का स्थान भी परिवर्तित किया जा सकेगा ।

3. ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे -

   1. स्कूल/कालेजों एवं अन्य सभी प्रकार के प्राथमिक स्कूल से लेकर स्नातक, परास्नातक, मैनेजमेन्ट/पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग एवं मैडीकल आदि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना । ये संस्था किसी भी स्थान पर स्थापित की जा सकेगी । जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी समुदाय के विद्यार्थियो को शिक्षा दी जायेगी।
   2. शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं विभिन्न प्रकार के तकनीकि पर आधारित शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु शिक्षण संस्थाओं का प्रबन्धन करना एवं सहयोग प्रदान करना एवं कराना ।
   3. नर्सरी, प्राईमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तरीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक तकनीकि, व्यावसायिक एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना तथा उनका समुचित प्रबन्धन करना एवं कराना ।
   4. आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थायें, स्कूल कालेज, आदि संचालित करना एवं उनके प्रबन्ध तंत्र को अपने हाथ में लेकर उचित प्रबन्धन करना ।
   5. सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों से दान, अनुदान आदि प्राप्त करना ।

बिलोच कुमार Bharat सुनीता देवी

क्रमांक 3389 दिनांक 29-9-2011

स्टाम्प का मूल्य [illegible]

क्रेता का नाम व पता [illegible]

क्रय का प्रयोजन [illegible]

313

स्टाम्प विक्रेता-हरीओम वर्मा

लाइसेन्स नं -15 अव.ध-31-3-201[illegible]

उपनिबन्धक (कोषागार पटल एवं कम्प)

120/339, आगरा, वाचक 32857

800

शुल्क 100 प्रति शुल्क 20 योग 120

पुत्र श्री [illegible]

[illegible] कुमार

पेशा [illegible] निवासी [illegible]

ने यह लेख पत्र मय फोटो प्रति को कार्यालय उपनिबन्धक [illegible] में दिनांक 1.10.11

जिला आगरा में फोटो व चिन्ह अंगुष्ठ लगाकर आज दि० [illegible] बजे दिन

को समय मध्य 2 [illegible] 3

के प्रस्तुत किया

उपनिबन्धक

[illegible] (आगरा)

1.10.11

[illegible]

प्रतिफल [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

जिनकी पहचान श्री [illegible]

पेशा [illegible] निवासी [illegible]

एवं श्री [illegible]

पेशा [illegible] निवासी [illegible]

सुनीता देवी

1.10.11

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 948686

---2---

प्रौढ़ शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करना ।

7. स्कूलों, बच्चों, छात्रों एवं समाज के विभिन्न वर्गो को प्रेरणादायक प्रसंगों से अवगत कराने एवं उनके नैतिक, सामाजिक व मानसिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से बैठकों, भाषण मालाओं, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, मीनारों, सभाओं, अन्य प्रतियोगिताओं अध्ययन एवं शोध कार्यो, खेलकूद, दर्शनीय एवं पर्यटन स्थलों के भ्रमण कार्यक्रमों, प्रर्दशनियों, ऑडियों-वीडियों-सिनेमा प्रदर्शन कार्यक्रमों आदि का आयोजन करना ।

8. जन सामान्य के ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर से ऊँचा उठाने के उद्देश्य से लाइब्रेरी, म्यूजियम व रीडिंग रूम आदि की स्थापना करना एवं उनमें जनोपयोगी पठन-पाठन व अन्य सामिग्री उपलब्ध कराना ।

9. प्रतिभाशाली छात्रों छात्र-वृत्तियां, पारितोषक एवं निशुल्क पाठय पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना एवं उनको विकास के समुचित साधन उपलब्ध कराना ।

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार दान-अनुदान, सदस्यता शुल्क आदि ट्रस्ट के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं से प्राप्त करना एवं विभिन्न कम्पनियों, फर्मो, सोसाइटियों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से निर्धारित शर्तो पर ट्रस्ट के पक्ष में ऋण व पूँजी निवेश प्राप्त करना एवं ट्रस्ट की ओर से आवश्यक होने पर उक्त संस्थाओं में पूँजी निवेश करना ।

11. समय समय पर प्राकृतिक एवं दैवीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री जैसे- भोजन, कपड़े, दवायें, अस्थायी एवं स्थाई भवन आदि उपलब्ध करना।

12. विकलांग अंग-भंग व शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की वांछित सहायता उपलब्ध कराना । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना ।

13. गरीब वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यक्रम चलाना एवं उनकी पुत्रियों की शादियों में आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।

14. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था करना एवं अनुत्पादक भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु विकास परियोजनायें चलाना ।

15. धर्मार्थ अस्पतालों, नर्सिंग होम, चिकित्सा सेवा केन्द्र, वृद्धावस्था-आवास गृहों आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना ।

त्रिलोचकुमार Bharat सुनीता देवी वंदना चौहान अनीता देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16. छात्रावासों एवं बोर्डिंग हाउसों की स्थापना करना व नौजवानों के शारीरिक विकास हेतु खेल के मैदानों का निर्माण कराना तथा उन्हें खेल-कूद, व्यायाम हेतु आवश्यक उपकरण व सामग्री उपलब्ध कराना ।

17. जन सामान्य की धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को उचित दिशा में बढ़ावा देना एवं आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना ।

18. लघु उद्योगों एवं हस्तशिल्प को विकसित करना ।

19. ग्रामोदय, सर्वोदय, धर्मार्थ पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन करना एवं प्रसार करना।

20. समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उ0प्र0 तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना जिसमें खादी ग्रामोद्योग का उत्थान तथा बिक्री करना इसके तहत होने वाले मार्जिन को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरीटेबिल कार्यो पर खर्च करना ।

21. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि, भवन, स्कूल, कालेज, एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं हेतु सभी प्रकार की चल-अचल सम्पत्तियों को क्रय करना, विक्रय करना, अधिग्रहीत करना, बन्धक करना अथवा किसी विधि मान्य प्रकार से उस पर कब्जा प्राप्त करना एवं चलते हुये शिक्षण संस्थानों का अधिग्रहण करना ।

24. सामाजिक/सांस्कृतिक उत्सवों एवं राष्ट्रीय पर्वो व महापुरूषों की जयन्ती आदि कार्यक्रमों को आयोजित करना एवं उनके आयोजन में सहयोग प्रदान करना । यदि संस्था अथवा ट्रस्टीगण पदाधिकारियों द्वारा उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा परियोजना को अंशदान या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तो इस कार्य भी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया कार्य ही माना जायेगा ।

25. ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन एवं कार्य संचालन हेतु देश के किसी भी भाग में क्षेत्रीय कार्यालय/विभाग गृहों आदि की स्थापना करना ।

4- ट्रस्ट के पदाधिकारी :-

ट्रस्ट में एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष (तीन पदाधिकारी) व 3 कार्यकारिणी सदस्य होगें ।

5- ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टीगण निम्न होंगे -

1-श्री विलोच कुमार पुत्र श्री पुरूषोत्तम सिंह उम्र-45 वर्ष निवासी- ग्राम व पोस्ट सेमरा तहसील एत्मादपुर जिला आगरा। (अध्यक्ष)

2-श्री भरत सिंह पुत्र श्री पुरूषोत्म सिंह निवासी- ग्राम व पोस्ट सेमरा तहसील एत्मादपुर जिला आगरा। (सचिव)

विलोचकुमार   Bharat   सुनीता देवी   राधा-चौहान   अनीता देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100 | रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

--------4------

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AR 948688

3-श्री भूरी सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी- ग्राम व पोस्ट सेमरा तहसील एत्मादपुर जिला आगरा।

(कोषाध्यक्ष)

4-श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री भूरी सिंह निवासी- ग्राम व पोस्ट सेमरा तहसील एत्मादपुर जिला आगरा।

(ट्रस्टी सदस्य)

5-श्रीमती बन्दना चौहान पत्नी श्री भरत सिंह निवासी- ग्राम व पोस्ट सेमरा तहसील एत्मादपुर जिला आगरा।

(ट्रस्टी सदस्य)

6-श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री बिलोच कुमार निवासी- ग्राम व पोस्ट सेमरा तहसील एत्मादपुर जिला आगरा।

(ट्रस्टी सदस्य)

6- ट्रस्ट का गठन -

(क) इस ट्रस्ट में अधिक से अधिक 12 ट्रस्टी हो सकते है तथा न्यूनतम 6 ट्रस्टी होंगे । ऊपर वर्णित सभी ट्रस्टी जीवन पर्यन्त इस ट्रस्ट के ट्रस्टी रहेंगे । इनमें से किसी भी ट्रस्टी के जीवनकाल के पश्चात् ट्रस्ट गठनकर्ता के परिवार का सदस्य ही ट्रस्टी होगा । यदि किसी कारणवश परिवार का सदस्य ट्रस्टी बनने हेतु उपलब्ध नहीं है अथवा कानूनी रूप से अक्षम है तो शेष ट्रस्टियों को यह अधिकार होगा कि वे परिवार के बाहर से भी बहुमत के आधर पर ट्रस्टी चुन सकेगें । परिवार से तात्पर्य यह है कि ट्रस्ट गठनकर्ता के पुत्र व पुत्रियों के सभी परिवार इसमें माने जायेंगे । नये नामित ट्रस्टियों का कार्यकाल भी जीवनपर्यन्त होगा । न्यासी का बालिग होना तथा शारीरिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है ।

(ख)- ट्रस्टी के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष अपनी इच्छा से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की रहा में सहायक हो सकें, ट्रस्ट का ट्रस्टी कोआप्ट कर सकेंगे । नव नियुक्ति ट्रस्टी सजा याफता मुजरिम, दिवालिया, मानसिक विछुप्त व्यक्ति कदापि नही होगें ।

7. प्रबन्धन

(अ) ट्रस्ट के प्रबन्धन एवं नियंत्रण के पूर्ण अधिकार इसके ट्रस्टीगण में निहित होगें । ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की ओर से चल व अचल सम्पत्ति क्रय व विक्रय करने, ट्रस्ट के स्वामित्व की सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने एवं कब्जा प्रदान करने का शिक्षण संस्थाओं के लिए ट्रस्ट के लिए उपयोगी भवनों का निर्माण कराने, ट्रस्ट के हक में फन्ड, चल व अचल सम्पत्ति एवं पूजी निवेश की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये — Rs. 100

रु. 100 — ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — AR 94[illegible]689

--------5-------

(र) ट्रस्टीगण को यह भी अधिकार होगा कि वे समय समय पर ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन एवं प्रशासन हेतु आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियमों व उपनियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन करें अथवा नये नियमों/उपनियमों का निर्माण करें । प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नियम व उपनियम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15), 11 से 13 एवं 80 जी के प्राविधानों के विपरीत न हो ।।

(स) ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन, आय-व्यय पर विचार करने एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु ट्रस्टीगण की अधिक से अधिक बैठकें आयोजित की जायेगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक वर्ष में कम से कम तीन बैठकें, जिनमें एक बैठक साधारण सभा की अवश्य आयोजित की जायेगी ।

(द) ट्रस्ट की बैठकों का कोरम कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति से पूर्ण होगा ।

(ब) ट्रस्टीगण की समस्त बैठकों की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को बहुमत द्वारा चुन कर की जायेगी । बैठकों में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे । तथा मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जायेगा ।

(ह) बैठकों की समस्त कार्यवाही इसके लिए निर्धारित कार्यवाही पुस्तिका में अंकित की जायेगी ।

(ल) ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टीगण के अतिरिक्त अन्य ट्रस्टीगण में से जो ट्रस्टी तीन लगातार बैठकों में बिना कोई उचित कारण बतायें तथा बिना पूर्व सूचना दिये तथा बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित रहेंगे उनकी ट्रस्टी के रूप में सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी । परन्तु अन्य ट्रस्टीगण किसी उचित एवं विधि मान्य कारण के आधार पर ऐसे ट्रस्टी को उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त कर सकते है ।

(ट) ट्रस्ट के प्रबन्धन एवं प्रशासनिक मामलों पर ट्रस्टीगण में मत विभिन्नता की स्थिति में बहुमत का निर्णय मान्य होगा तथा यह सभी ट्रस्टीगण के लिए अनिवार्य स्वीकार्य होगा ।

8. ट्रस्टीगणों के कर्तव्य एवं अधिकार :-

1- अध्यक्ष -

(अ)- ट्रस्ट का संचालन करना ।

(ब)- ट्रस्ट के ट्रस्टियों की समयानुसार तथा आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना ।

(स)- ट्रस्ट के ट्रस्टी सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर आवश्यकतानुसार कार्य करने के अधिकार प्रदान करना।

विनोद कुमार Bharat [signature] सुनीता देवी [signature] [signature]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AR 940690

(य)- ट्रस्ट के सचिव ट्रस्टी के परामर्श से आवश्यकतानुसार ट्रस्टी के लिए बैठकें निर्धारित करना व उनकी अध्यक्षता करना।

(व)- ट्रस्ट के विकास हेतु उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।

(र)- ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व सदस्यता शुल्क व आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना।

(ल)- ट्रस्ट की सहमति से संस्था के अंतगर्त संचालित संस्थानों मे कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निस्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

(ट)- ट्रस्ट के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राप्टों बिल-बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

(ड)- ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं स्थापित शैक्षिक संस्थानों की मान्यता, सम्बद्धता, अनापत्ति हेतु बोर्ड, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय एंव सम्बन्धित विभागों से पत्र व्यवहार करना उनके मानकों और नियमों का पालन, अनुपालन करना एवं कराना ।

2- सचिव -

(अ)- ट्रस्ट की समस्त बैठकों के आयोजन की सूचना पहुँचना, मीटिंग कार्यवाही लिखना व उसका पूर्ण लेखा जोखा रखना।

(ब)- ट्रस्ट के विकास हेतु उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।

(स)- ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं स्थापित शैक्षिक संस्थानों की मान्यता, सम्बद्धता, अनापत्ति हेतु बोर्ड, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय एंव सम्बन्धित विभागों से पत्र व्यवहार करना उनके मानकों और नियमों का पालन, अनुपालन करना एवं कराना ।

(द)- ट्रस्ट के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हों करना ।

(य)- ट्रस्ट की सहमति से संस्था के अंतगर्त संचालित संस्थानों मे कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निस्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

(र)- ट्रस्ट के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राप्टों बिल-बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

(ल)- ट्रस्ट के समस्त मूल अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।

(ट)- ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना ।

सुनीता देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 365425

3- कोषाध्यक्ष :

(अ)- संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना एवं आय व्यय बही पत्रों को तैयार करना।

(ब)- संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान, अनुदान, चंदा आदि प्राप्त करना ।

(स)- अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना ।

(द)- अध्यक्ष व सचिव द्वारा सौपे गये कार्यों को करना ।

9. अन्य आवश्यक :-

1- ट्रस्टीगण उन सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत होंगे जो उन्हें विशेष रूप से प्रदान किये गये हों तथा जो ट्रस्ट को सुचारू संचालन में उपयोगी एवं हित साधक हों ।

2- ट्रस्ट की ओर से राष्ट्रीयकृत बैंक में एकाउण्ट खोलने एवं संचालित करने हेतु अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष तीनों में किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से किया गया जायेगा । ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी शिक्षण संस्थान अथवा अन्य संस्था का बैंक एकाउण्ट ट्रस्ट के सचिव व संस्था के अध्यक्ष नाम से किया जायेगा जिसका निर्णय ट्रस्ट की बैठक में लिया जायेगा ।

3- ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वादों की पैरवी ट्रस्टी की सम्पत्ति का रख-रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ट्रस्टीगण का ही होगा इस कार्य हेतु ट्रस्टीगण द्वारा अध्यक्ष और सचिव में से किसी एक को अधिकृत किया जायेगा ।

4- ट्रस्ट के ट्रस्टीगण इस ट्रस्टडीड द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों व उत्तरदायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत प्राविधानित उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु भी प्रतिबन्धित रहेंगे ।

5- ट्रस्टीगण को अपने विवेक से लिये गये सामूहिक निर्णय द्वारा ट्रस्ट की किसी भी अचल सम्पति या सम्पत्तियों की जो उनके स्वत्वाधिकार में है, को बिक्रीत करने एवं आवश्यक होने पर ट्रस्ट के पक्ष में किसी चल व अचल सम्पत्ति को क्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा । प्रतिबन्ध यह है कि ट्रस्ट के कार्य संचालन की प्रक्रिया के अन्तर्गत किये गये क्रय-विक्रय से यदि ट्रस्ट की कोई हांनि हो जाती है तो उसको ट्रस्ट द्वारा ही वहन किया जायेगा । साथ ही इस प्रकार किये गये प्रत्येक विक्रय से प्राप्त धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा क्रय किये गये जाने के लिए भुगतान हेतु बॉछित धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते से ही आहरित किया जायेगा ।

6- ट्रस्टीगण किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति या संस्था से स्वेच्छापूर्वक दिय गया दान, अंशदान, उपहार, मासिक/वार्षिक चंदा, डोनेशन आदि प्राप्त कर सकेंगे ।

सुनीता देवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 365426

7- ट्रस्ट के समस्त लेखे एवं आय-व्यय का विवरण निर्धारित लेखा अभिलेखों में अंकित किया जायेगा । ट्रस्टीगण द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च तक की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे, आय-व्यय तथा बेलेन्स शीट तैयार कराकर उसका किसी सुयोग्य चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट से आडिट कराया जायेगा ।

8- ट्रस्टीगण द्वारा समय समय पर ट्रस्ट के संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति तथा लेखा लिपिक कार्यालय सहायक, व अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जायेगी तथा उनके वेतन एवं भत्ते निर्धारित किये जायेंगे । ऐसे कर्मचारियों को वेतन एवं देय भत्ते ट्रस्ट के फंड से ही भुगतान किये जायेंगे ।

9- ट्रस्टीगण समय समय पर अपने बहुमत से लिये गये निर्णयानुसार ट्रस्ट की किसी सम्पत्ति या उसके अंश को किसी भी सरकारी, गैर सरकारी संस्था अथवा बैंक या वित्तीय संस्था को बन्धक करके ट्रस्ट के लिये ऋण प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये किसी भी ट्रस्टी को समस्त जरूरी दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार भी दे सकेगें ।

10- ट्रस्ट के सभी फण्ड आयकर अधिनियम की धारा 13 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही प्रयुक्त किये जायेंगे ।

10-ट्रस्ट का विघटन :- यदि किन्ही परिस्थितियों में ट्रस्ट को भंग अथवा समाप्त किया जाता है तो उसकी समस्त परिसम्पत्तियों ट्रस्टीगण द्वारा लिये गये निर्णयानुसार या तो समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी । अथवा ट्रस्टीगण में बाँट दी जावेगी ।

विनोदकुमार Bharat Bhahar सुनीता देवी वंदना चौहान अनीता देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 365427

--------9------

अतएव हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता ट्रस्टीगण ने यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 1-/-10-/--2011 को तहरीर कर दी है ताकि सनद रहे तथा बक्त जरूरत काम आवें ।

साक्षियों के हस्ताक्षर

1- [illegible]

2- [illegible]

हस्ताक्षर ट्रस्टीगण

1- विनोद कुमार

2- Bharat

3- Bahadur

4- सुनीता देवी

5- वर्षा चौहान

6- अनीता देवी

S. K. Kulshrestha

S. K. KULSHRESTHA
Notary Distt., Agra.

विनोद कुमार Bharat Bahadur सुनीता देवी वर्षा चौहान अनीता देवी

क्रमांक 3397 दिनांक 21-9-2011

स्टाम्प का मूल्य 50/- पचास रुपये

क्रेता का नाम व पता ... [illegible] — 3381

क्रय का प्रयोजन ... [illegible]

स्टाम्प विक्रेता-हरिओम वर्मा
लाइसेंस नं - [illegible]
उप निबन्धक [illegible]
120/339, [illegible], आगरा

आज दिनांक 1/10/11 को बही
सं० I जिल्द सं० 6443 के
पृष्ठ सं० 13/30 पर क्रम सं० 12548
पर रजिस्ट्री की गई

उ० नि० एत्मादपुर (आगरा)